कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वितरण)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद

पत्रांक /मु0अ0गा0क्षे0/वा0/प्रशा0अनु0/ (/11) दिनांक

कार्यालय ज्ञाप

पूर्वावर्ती परिषदीय पत्रांक 3022 सीयू–2/ बहुखण्डीय इमारत दि0 7.10.94, परिषदादेश सं0 548–कार्य/चौदह(बी) /राविष/ 98–3 केवी/ 95 दि0 24.4.98, निगमादेश सं0 757–कार्य/ चौदह/पाकालि–2001/3 केवी–95 दि0 28.6.01 एवं निगम के पत्रांक 721 एच0सी0/टैरिफ/मल्टी स्टोरी दि0 26.6.2001, निगमादेश सं0 1308/कार्य/चौदह/पाकालि/2001–03 केवी/95 दि0 18.10. 01, सं0 385/कार्य/चौदह/ पाकालि/2002–03 केवी/95 दि0 13.3.02, एवं प्रबन्ध निदेशक, पविविनिलि, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0 1515 दि0 29.9.03 एवं विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न के विद्युतिकरण हेतु प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाती है:–

क्रम सं0	स्थान का नाम	अपार्टमेन्ट	भार (कि0वा0)	टिप्पणी
1.	मै0 हिन्दुस्तान इन्फ्रा पावर प्रा0 लि0 के पक्ष में आदित्य वर्ल्ड सिटि, एन0 एच0–24, ग्राम–शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद	आवासीय	28800 कि0वा0 (अट्ठाइस आठ सौ कि0वाट)	स्थापित 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्र व 33 के0वी की लाइन उपभोक्ता द्वारा निर्मित की जायेगी
नोट–	1. उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति 132के0वी0 लालकुआँ उपकेन्द्र,गाजियाबाद से 33 के0वी0 की 2 बे द्वारा निर्गत की जायेगी ।			

उक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन होगी:–

1. कार्य कराते समय उक्त वर्णित संदर्भों में दिये गये प्राविधानों का पालन अपने स्तर से सुनिश्चित कर लें।
2. बहुखलीय भवन/संकलों में सभी ऊर्जा मापक (एनर्जी मीटर्स)भूतल अथवा अधोतल पर लगाये जायेगें। मीटर लगाने के लिये बेल्डर द्वारा पर्याप्त एवं सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। ऊर्जीकरण के उपरान्त ऊर्जा मापक तक का वितरण तंत्र परिषद/ निगम की सम्पत्ति हो जायेगा तथा इसके अनुरक्षण का दायित्व भी निगम का होगा। मीटर के बाद के तंत्र का अनुरक्षण का दायित्व सम्बन्धित उपभोक्ता का होगा।
3. यदि बहुखण्डीय इमारत केवल आवासीय कार्य के लिये हो तो ऐसी इमारतों में एक बिन्दु संयोजन देना श्रेयस्कर होगा।
4. यदि बहुखण्डीय इमारत में केवल वाणिज्यिक कार्य ही होने हैं तो ऐसी इमारतों के लिये भी एक बिन्दु संयोजन देना श्रेयस्कर होगा।
5. यदि बहुखण्डीय इमारत में आवासीय एवं वाणिज्यिक दोनों ही कार्य होने है तो वहां पर प्रत्येक उपभोक्ता को उसकी आवश्यकतानुसार संयोजन दिया जाये।
6. समस्त बहुखण्डीय इमारतों में स्थापित सभी परिवर्तकों पर उपभोक्ता के व्यय पर मीटर्स स्थापित किये जायें जिससे कि ऊर्जा का मापन हो सके तथा एनर्जी ऑडिट किया जा सके। अधिक लाइन हानियों/विद्युत चोरी पाये जाने पर क्षेत्र के संबंधित अधिशासी अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी तथा अवर अभियन्ता समान रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. प्रत्येक भावी उपभोक्ता से विद्युत कनैक्शन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग शुल्क, परिषद/निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार सर्विस कनैक्शन चार्जेज, सिस्टम लोडिंग चार्जेज एवं सिक्योरिटी एवं अन्य चार्जेज भी देय होंगे। नये संयोजन निर्गत होने के समय परिषद/निगम द्वारा निर्धारित समस्त औपचारिकता पूर्ण करना आवश्यक होगा।
8. प्रस्तावित 400/220/132 केवी उप–संस्थानों पर स्थापित ट्रान्सफार्मरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।
9. विद्युत प्रणाली ओवरलोडेड होने की स्थिति में इकाई की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने की सम्भावना हो सकती है तथा आवश्यकतानुसार शेडयूल्ड तथा आपातकालीन शेस्टरिंग की जा सकती है।
10. उपनगरी/बहुखण्डीय भवन के लिये स्वीकृत कुल विद्युत भार से अधिक भार के संयोजन निर्गत नहीं किये जायेगें।स्वीकृत विद्युत भार की सीमा से अधिक विद्युत भार की आवश्यकता होने पर विद्युत प्रणाली के सुदृढीकरण के कार्य की लागत विकासकर्ता अथवा भवन की को–ओपरेटिव द्वारा वहन की जायेगी।
11. उपनगरीयों/भवन संकलों में कॉमन फेसेलिटीज हेतु पृथक विद्युत कनैक्शन विकासकर्ता/को–ओपरेटिव सोसायटी ,रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसियेसन्स/इण्डीविजुअल आदि को प्रचलित नियमों के अनुसार दिया जायेगा।
12. खण्ड का दायित्व होगा कि विद्युतिकरण से पूर्व, कारपोरेशन के उक्त वर्णित आदेशों के प्राविधानों के तहत विकासकर्ता के बे पर लाइन/उपकरणों का सुदृढीकरण सुनिश्चित करेगें।

कृपया 2

Scanned by CamScanner

निर्माण कार्य के लिये वांछित विद्युत भार हेतु विकासकर्ता अस्थायी संयोजन के लिये प्रथक अधियाचना करेगा।यह अस्थायी योजन निर्माण की प्रस्तावित अवधि अथवा प्रथम चरण में अधिकतम दो वर्ष के लिये स्वीकृत किया जायेगा। निर्माण कार्य में अधिक मय लगने की स्थिति में उस समय रहते अवधि में विस्तार हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा। अस्थायी संयोजन को किसी भी दशा में थायी नही किया जायेगा।

). अधीक्षण अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि संयोजन समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद ही ऊर्जीकृत किया जाये था इसकी पुष्टि इस कार्यालय को की जायेगी। उपमहाप्रबन्ध तदोपरान्त प्रति माह एनर्जी ऑडिट का अनुश्रवण करने/अधिक लाइन ानियां/विद्युत चोरी पाये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर इस कार्यालय को अनुशासनात्मक ार्यवाही हेतु उत्तरदायी होंगे।

1. यदि उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत ड्राइंग से अधिक निर्माण कार्य कराया गया है, तो अधिक निर्माण के लिये उपभोक्ता स्वयं त्तरदायी होगा, भविष्य में यदि उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही आवास विकास/विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा की जाती है, उसका त्तरदायित्व विद्युत वितरण निगम पर नही होगा।

2. विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के प्रस्तर 4.28 में निहित प्राविधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित करायें।

3. प्रस्तावित परिवर्तक उपभोक्ता के परिसर में ही लगाये जायेंगे।

ए0 पी0 मिश्रा
मुख्य अभियन्ता(वितरण)

सं: C-64 /मु0अ0गा0क्षे0/वा0/प्रशा0अनु0/तद्दिनांक: 24/5/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद को उनके पत्रांक 3135, दिनांक 18.05.11 के संदर्भ में।
2 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड– प्रथम, गाजियाबाद।(अनुमोदित मानचित्र सहित)
3 उपभोक्ता

लग्न: अनुमोदित मानचित्र

(अनिल मित्तल)
अधिशासी अभियन्ता(अधि0)
कृते मुख्य अभियन्ता

Scanned by CamScanner

...त्य मुख्य अभियन्ता (वितरण) गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद

कारपोरेशन आदेश सं0
548/कार्य/14बी/रा0वि0प0/98–3
के0वी0/95, दिनांक–24.04.98

...त्रांक:– /मु0अ0गा0क्षे0/बा0/भार स्वीकृति बत्ती पंखा (एकल बिन्दु पर) दिनांक:–

कार्यालय ज्ञाप

घरेलू/अघरेलू बत्ती पंखा व पावर विद्युत भार की स्वीकृति हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित इकाई/पार्टी के पक्ष में अधोलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन एकल बिन्दु पर स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	इकाई/पार्टी का नाम व पता	स्वीकृत विद्युत भार	दर सूची	प्रयोजन	कार्य–स्थल
1	2	3	4	5	6
1.	मै0 हिन्दुस्तान इन्फ्रा पावर प्रा0 लि0 के पक्ष में आदित्य वर्ल्ड सिटि, एन0 एच0–24, ग्राम–शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद (वि0न0वि0ख0–प्रथम)	28800कि0वाट /(32000 के0वी0ए0) (अठाइस हजार आठ सौ कि0वाट/बत्तीस हजार के0वी0ए0) एकल बिन्दु पर .	एल0एम0 वी0–1(3b)	आवासीय कार्य हेतु	आदित्य वर्ल्ड सिटि, एन0 एच0–24, ग्राम–शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद

...क्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्न शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन भी होगी, जिनका पालन उपभोक्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त स्वीकृति स्वंय निरस्त मानी जायेगी :–

...धिशासी अभियन्ता, वि0न0वि0खण्ड–प्रथम,गा0बाद के पत्र संख्या 2941, दिनांक–18.05.11 पर अधीक्षण अभियन्ता, 0न0वि0म0प्र0,गा0बाद द्वारा पत्र संख्या–3135, दिनांक–18.05.11 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर उपरोक्त उपभोक्ता । उक्त स्वीकृत विद्युत भार एकल बिन्दु पर निम्नलिखित 7(सात) चरणो में अवमुक्त किया जायेगा :–

1. प्रथम चरण – अगस्त–2011 तक 2700 कि0वाट (3000 के0वी0ए0)
2. द्वितीय चरण – मई–2012 तक 2250 कि0वाट (2500 के0वी0ए0)
3. तृतीय चरण – मई –2013 तक 6750 कि0वाट (7500 के0वी0ए0)
4. चतुर्थ चरण – मई –2014 तक 3240 कि0वाट (3600 के0वी0ए0)
5. पंचम चरण – मई –2015 तक 2700 कि0वाट (3000 के0वी0ए0)
6. षष्ठम चरण – मई –2016 तक 5850 कि0वाट (6500 के0वी0ए0)
7. सप्तम चरण – मई –2018 तक 5310 कि0वाट (5900 के0वी0ए0)

1. 132 के0वी0 लालकुआँ उपकेन्द्र की क्षमता **2x40+1x20=100 MVA,** है जिसकी क्षमता वृद्धि **1x100+1x40+1x20=160 MVA** हेतु प्रस्ताव कारपोरेशन द्वारा पारित किया जा चुका है । उक्त क्षमता वृद्धि के उपरान्त ही उपभोक्ता को 32 एम0वी0ए0 विद्युत भार निर्गत किया जाना तकनीकी रुप से सम्भव हो पाएगा ।
2. उपरोक्त 32 एम0वी0ए0 विद्युत भार को अवमुक्त करने संबधित समस्त व्यय जिसमें 2 नग 33 के0वी0 बे की लागत भी शामिल है, उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा ।
3. उपभोक्ता ने अपने पत्र दिनांक–12.05.11 (संलग्नक–3) द्वारा अनुरोध किया है कि प्रथम फेस में उन्हें माह अगस्त–2011 तक 3000 के0वी0ए0 विद्युत भार की अववश्यकता है । जिसके लिए उन्होंने 132 के0वी0 लालकुआँ उपकेन्द्र से एक नग 33 के0वी0 लाईन एंव एक नग 33 के0वी0 उपकेन्द्र बनाकर 3 एम0वी0ए0 विद्युत भार को निर्गत करने का अनुरोध किया है, उक्त कार्य फर्म द्वारा 5 प्रतिशत् सुपरविजन चार्जेस जमा करवर कर स्वंय कराया जायेगा ।
4. फर्म द्वारा एह भी अनुरोध किया गया है कि 33 के0वी0 लाईन / 33 के0वी0 उपकेन्द्र बनाने में देर होती है, तो उन्हें 33 के0वी0 उपकेन्द्र उद्योग कुंज से एक नग 11 के0वी0 लाइन बनाकर 2700 कि0वाट/ 3 एम0वी0ए0 विद्युत भार को 15 प्रतिशत् सुपरविजन चार्जेस जमा कराकर निर्गत करने की अनुमति दे दी जाये । साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उपरोक्त 11 के0वी0 लाइन को अपने प्रथम 33 के0वी0 उपकेन्द्र के 132 के0वी0 लालकुआँ उपकेन्द्र से ऊर्जीकृत होने के उपरान्त विद्युत विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा ।
5. बिन्दु–4 पर दर्शाये गये उपभोक्ता के अनुरोध को स्वीकार्य करते हुए प्रथम चरण के भार को 33 के0वी0 उपकेन्द्र उद्योग कुंज से एक नग 11 के0वी0 लाइन बनाकर 2700 कि0वाट/3 एम0वी0ए0 विद्युत भार को 15 प्रतिशत् सुपरविजन चार्जेस जमा कराकर निर्गत करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि पारेषण खण्ड द्वारा बे उपलब्ध कराते ही , उसे 6 (छः) माह के भीतर 33 के0वी0 लाईन एवं 33 के0वी0 उपकेन्द्र बनाना सुनिश्चित करना होगा नहीं तो विभाग 33 के0वी0 उपकेन्द्र उद्योग कुंज से प्रथम चरण के 2700 कि0वाट/3 एम0वी0ए0 विद्युत भार की आपूर्ति करने में असमर्थ रहेगा, जिसके लिए उपभोक्ता पूण रुप से स्वंय उत्तरदायी होगा ।

क्रमश: 2

Scanned by CamScanner

शर्तें निम्नवत् हैः-

उक्त 11/33के0वी0 पोषक के उद्गम एवं इकाई के संयोजन के छोर पर सिक्योर मेक या उसी के गुणवत्ता का अन्य इलैक्ट्रोनिक मीटर विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लगाया जायेगा। पिल्फर प्रूफ मीटरिंग उपभोक्ता के परिसर में एवं परिसर के बाहर सुनिश्चित की जायेगी।

इकाई के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट स्वतन्त्र प्रवेश द्वार का मीटरिंग रूम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के मापदण्डों के अनुरूप उपभोक्ता को अपने व्यय पर बनाना होगा तथा मीटरिंग कक्ष तक प्रवेश का मार्ग स्वतन्त्र होगा एवं मीटरिंग कक्ष मे कारपोरेशन का ताला होगा।

प्रभावित 400/220/132 केवी उप-संस्थानों पर स्थापित ट्रान्सफार्मरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।
विद्युत प्रणाली ओवर लोडेड होने की स्थिति में इकाई की विद्युत आपूर्ति मे व्यवधान होने की संभावना हो सकती है तथा आवश्यकतानुसार शेडयूल्ड तथा आपातकालीन रोस्टरिंग की जा सकती है।
विद्युत सप्लाई कोड 2005 के तीसरे संशोधन के प्रस्तर 4.8 (सी0) में निहित प्राविधानों के तहत उपर लिखित विद्युत भार को अवमुक्त करने हेतु ईकाई को नियम व शर्ते दिये जाने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्राकलन की वांछित धनराशि जमा करानी होगी अन्यथा की स्थिति मे यह भार स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा मे भी ये आदेश निरस्त माने जायेगें
उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में निगम की किसी भी ट्रंक लाईन को टैप करके, अवमुक्त नही किया जायेगा।
किसी भी दशा में शहरी पोषक को नगर पालिका/नगर महापालिका/टाउन ऐरिया की सीमा से बाहर बढाकर विद्युत भार अवमुक्त नही किया जायेगा।
स्वतन्त्र पोषक द्वारा विद्युत भार अवमुक्त करने हेतु निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
यदि इकाई के परिसर में अथवा उपभोक्ता के नाम पहले से कोई संयोजन रहा हो तो उक्त भार तब तक अवमुक्त नही किया जायेगा तब तक कि उस पुराने संयोजन अथवा उपभोक्ता के विरूद्ध बकाया धनराशि, यदि कोई हो का भुगतान नही कर दिया जाता।
यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता द्वारा निगम की नीति संबन्धी विषयों (उदाहरणार्थ) टैरिफ या उससे संबन्धित विषय जैसे फयूल सरचार्ज, लो पावर फेक्टर सरचार्ज, टैरिफ की दर विरल/अविरल विद्या आदि के विषय में कोई विवाद किसी भी न्यायालय में उठाया गया है, और वह लम्बित है तो उस दशा में विवाद समाप्त होने के पश्चात ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।
समय-समय पर निगम एवं डिस्ट्रीब्यूशन कोड 2005 द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण औपचारिकताऐं पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।
उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के नियमों के अन्तर्गत की जायेगी परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार रोस्टरिंग तथा आपातकालीन रोस्टरिंग की जा सकती है।
विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन में रेटशैडयूल में निहित वोल्टेज पर दी जायेगी।
उपभोक्ता द्वारा विद्या/उत्पाद बदलने पर यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
भार अवमुक्त करते समय डबल मीटरिंग करना सुनिश्चित किया जायें।
विपरीत प्रणाली दशाओं/आपात कालीन रोस्टरिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत आवश्यकता/मांग बनाये रखने के लिये उपभोक्ता को परामर्श दिया जाता है कि उपर्युक्त क्षमता का/के जैनरेटिंग सेट लगा ले जिसके लिये वे निगम की पूर्वानुमति अलग से प्राप्त कर सकते हैं।

ए0 पी0 मिश्रा
मुख्य अभियन्ता (वि0)

पत्रांकः-164/मुअ0गा0क्षे0/वा0/तददिनांकः 24/5/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गा0बाद।
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गा0बाद।
उपभोक्ता को उपरोक्त पते पर।

(अनिल मित्तल)
अधिशासी अभियन्ता (अधि0)
कृते मुख्य अभियन्ता

Scanned by CamScanner